दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>निर्णय घोषित: 01.10.2024</u>

<u>रि.या.(सि.) 4299/2024</u>

सौजन्या प्रिंटिंग प्रेस .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री दीपक सिंह और श्री दीपांशु भार्गव, अधिवक्ता

बनाम

उप श्रम आयुक्त और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री हेतू अरोड़ा सेठी, अति.स्था.अधि.-रा.रा.क्षे.दि.

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरीश कठपालिया

[भौतिक सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

<u>निर्णय</u> (मौखिक)

<u>सि.वि. आ. 57797/2024</u> ***[याचिकाकर्ता की ओर से याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए दायर किया गया आवेदन]***

1. रिट याचिका की सूचना अभी जारी नहीं हुई है। उसमें उल्लिखित कारणों से, आवेदन को अनुमति दी जाती है और सुनवाई आज के दिन के लिए पूर्वित की जाती है।

<u>रि.या.(सि.) 4299/2024</u>

2. याचिकाकर्ता प्रबंधन ने न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण के दिनांक 26.07.2022 के आदेश को चुनौती देने के लिए यह रिट कार्रवाई की है, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता को न्यूनतम मज़दूरी में बकाया राशि के अंतर के लिए 32,952/- रुपये की राशि का भुगतान करने का, साथ ही प्रतिकर के लिए दी गई राशि पर एकमुश्त जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया था, जिससे उसे प्रत्यर्थी कामगार को कुल 65,904/- रुपये का भुगतान करना पड़ता। याचिकाकर्ता प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मुझे कामगार को नोटिस जारी करने और मुकदमेबाज़ी पर धन व्यय करने का कोई कारण नहीं दिखता।

3. संक्षेप में कहा जाए तो, प्रत्यर्थी सं. 2 कामगार ने न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948 की धारा 20(2) के अंतर्गत वर्तमान याचिकाकर्ता प्रबंधन के विरुद्ध दिनांक 13.10.2021 को एक आवेदन दायर किया, जिसमें अभिवचन दिया गया कि उसे याचिकाकर्ता प्रबंधन द्वारा 01.01.2020 को नियुक्त किया गया था और उसका अंतिम वेतन 10,000/- रुपये प्रति माह था; कि वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था लेकिन याचिकाकर्ता प्रबंधन ने उसे विधि के अधीन स्वीकार्य कोई सुविधा प्रदान नहीं की; कि याचिकाकर्ता प्रबंधन ने उसे 01.04.2021 से 30.09.2021 की अवधि के लिए न्यूनतम मज़दूरी की अधिसूचित दरों के अनुसार मज़दूरी का भुगतान नहीं किया और उसके बाद उसकी सेवाएँ समाप्त कर दीं; कि दिनांक

08.10.2021 के माँग नोटिस के बावजूद, याचिकाकर्ता प्रबंधन ने उसे कुल 35,448/- रुपये के न्यूनतम मज़दूरी के बकाया का भुगतान नहीं किया। इन परिस्थितियों को देखते हुए, प्रत्यर्थी सं. 2 कामगार ने याचिकाकर्ता प्रबंधन को 35,448 रुपये की राशि के साथ-साथ उक्त राशि का दस गुना जुर्माना अदा करने का निर्देश देने की प्रार्थना की।

4. याचिकाकर्ता प्रबंधन, समन किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और उत्तर दाखिल किया, जिसमें अभिवचन दिया गया कि प्रत्यर्थी सं. 2 कामगार ने 22.10.2021 को पूर्ण और अंतिम निपटान के बाद सेवा से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए वह किसी भी धन का हकदार नहीं है।

5. प्रत्यर्थी सं. 2 कामगार ने संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रत्युत्तर दाखिल किया, जिससे याचिकाकर्ता प्रबंधन की अभिवचनों को नकार दिया गया। प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थी सं. 2 कामगार ने विशेष रूप से अभिवचन दिया कि याचिकाकर्ता प्रबंधन ने जबरन कोरे कागज़ो पर उसके हस्ताक्षर ले लिए, जिसके संबंध में उसने ओखला फेज़-1, नई दिल्ली पुलिस थाना में शिकायत भी दर्ज कराई।

6. उपरोक्त परस्पर विरोधी अभिवचनों के आधार पर, संबंधित प्राधिकारी ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए:

(i) क्या दावेदार को दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मज़दूरी की दरों के अनुसार मज़दूरी का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो वह कितनी राशि का हकदार है और इस संबंध में क्या निर्देश आवश्यक हैं?

(ii) राहत?

7. अपने मामले के समर्थन में, वर्तमान प्रत्यर्थी सं. 2 ने संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपना साक्ष्य शपथपत्र दायर किया, लेकिन उसके बाद याचिकाकर्ता प्रबंधन ने नोटिस की तामील के बावजूद कार्यवाही में उपस्थित होना बंद कर दिया। इस प्रकार, वर्तमान प्रत्यर्थी सं. 2 की शपथ का परीक्षण किया गया और संबंधित प्राधिकारी द्वारा अंतिम अभिवचन सुने गए, जिसके बाद कार्यवाही आक्षेपित आदेश में परिणत हुई।

8. आज तर्क-वितर्क के दौरान याचिकाकर्ता प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता ने मुझे उपरोक्त अभिलेखों से अवगत कराया और प्रतिवाद दिया कि आक्षेपित आदेश तथ्यों के विपरीत है, इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से पेपरबुक के पीडीएफ़ पृष्ठ 32 का संदर्भ दिया और प्रतिवाद दिया कि प्रत्यर्थी सं. 2 कामगार ने 30.09.2021 को नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और 22.10.2021 को पूर्ण और अंतिम निपटान स्वीकार कर लिया था। आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है।

9. निस्संदेह, वर्तमान प्रत्यर्थी सं. 2 कामगार द्वारा अपने प्रत्युत्तर में स्पष्ट रूप से इनकार करने के बावजूद, याचिकाकर्ता प्रबंधन ने प्रतिपरीक्षा के माध्यम से

उसके परिसाक्ष्य को चुनौती नहीं देने का विकल्प चुना, बचाव में कोई साक्ष्य पेश करना तो दूर की बात है। यह कामगार द्वारा अपने प्रत्युत्तर में स्पष्ट इनकार करने का मामला नहीं था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कामगार ने प्रत्युत्तर में विशेष रूप से अभिवचन दिया कि उसे याचिकाकर्ता प्रबंधन द्वारा कोरे कागज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए मज़बूर किया गया था, जिसके बारे में उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। यह याचिकाकर्ता प्रबंधन की ओर से व्यावहारिक रूप से कोई प्रतिवाद नहीं करने का मामला है और आक्षेपित आदेश बिना चुनौती दिए गए अभिवचनों और साक्ष्यों के आधार पर पारित किया गया था।

10. उपरोक्त अभिवचनों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं आक्षेपित आदेश में कोई कमी नहीं पा सका, इसलिए इसे बनाए रखा जाता है और वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

गिरिश कठपालिया
न्यायाधीश

01 अक्टूबर 2024/एएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*